कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकःभ– 2 /सीएफओ/जीबीएन–16(2)/ 197 दिनांकः जनवरी 11 2016,

सेवा मे,

मुख्य वास्तुविद नियोजक
नौएडा प्राधिकरण सेक्टर–6,
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

विषयः **मैसर्स गुलशन होम्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट नं0 जी0एच0–03सी, सेक्टर–144, नौएडा जिला गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भः यूआईडी:2016/17300/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/4159/जे0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लाट पर ग्रुप हाऊसिंग भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज–द्वितीय से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 09–01–2016 अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया विवरण निम्नवत हैः–

भवन की संरचनाः– कुल भूखण्ड एरिया–21,494.800 वर्ग मी0।

कमांक	नाम टावर	तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	स्टेयर की संख्या एवं चौडाई मी0।	ऊॅचाई मी0।
1	टावर–ए0	बेस0,स्टिल्ट,पोडि0/भूतल एवं 19	487.243	356.776	02 अदद–01.50 प्रत्येक।	59.725
2	टावर–बी0	बेस0,स्टिल्ट,पोडि0/भूताल एवं 16	419.168	295.880	02 अदद–01.50 प्रत्येक।	50.950
3	टावर–सी0	बेस0,स्टिल्ट,पोडि0/भूतल एवं 14	419.168	295.880	02 अदद–01.50 प्रत्येक।	45.100
4	टावर–डी0	बेस0,स्टिल्ट,पोडि0/भूतल एवं 14	382.641	261.467	02 अदद–01.50 प्रत्येक।	45.100
5	टावर–ई0	बेस0,स्टिल्ट,पोडि0/भूतल एवं 14	382.641	261.467	02 अदद–01.50 प्रत्येक।	45.100
6	टावर–एफ0	बेस0,स्टिल्ट,पोडि0/भूतल एवं 19	478.311	342.223	02 अदद–01.50 प्रत्येक।	59.725
7	टावर–जी0	बेस0,स्टिल्ट,पोडि0/भूतल एवं 19	478.311	342.223	02 अदद–01.50 प्रत्येक।	59.725
8	टावर–एच0	बेस0,स्टिल्ट,पोडि0/भूतल एवं 14	382.641	261.467	02 अदद–01.50 प्रत्येक।	45.100
9	टावर–जे0	बेस0,स्टिल्ट,पोडि0/भूतल एवं 14	382.641	261.467	02 अदद–01.50 प्रत्येक।	45.100
10	टावर–के0	बेस0,स्टिल्ट,पोडि0/भूतल एवं 14	419.168	295.880	02 अदद–01.50 प्रत्येक।	45.100
11	टावर–एल0	बेस0,स्टिल्ट,पोडि0/भूतल एवं 16	419.168	295.880	02 अदद–01.50 प्रत्येक।	50.950
12	टावन–एम0	बेस0,स्टिल्ट,पोडि0/भूतल एवं 19	487.243	356.776	02 अदद–01.50 प्रत्येक।	59.725
13	कामर्शियल	भूतल	620.103	–		04.115
14	कम्यूनिटी	भूतल/प्रथम एवं द्वितीय तल	444.602	986.577/217.558		10.00

बेसमेन्टः– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया–17586.135 वर्ग मी0 प्रस्तावित है।

भवन का अधिभोग विवरणः–प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी–2005 के अनुसार आवासीय श्रेणी ए0–4) श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः–

1–पहुॅच मार्गः–भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौडाई 45.00 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है जो भवन निर्माण विकास उपविधि के अनुसार है।

2–प्रवेश द्वारः– प्रश्नगत भवन मे 02 प्रवेश द्वार जिनकी चौडाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्रस्तावित है।

3–सैटबेकः– प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत हैः–

ए0 अग्रभाग 15.00 मी0।

बी0–पृष्ठ भाग–09.00 मी0।

For Gulshan Homes And Infrastructure Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

सी0–पार्श्व भाग प्रथम–09.00 मी0।
डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–09.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार सैटबेक भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा तथा टावरो के चारो ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3–निकास मार्गः– प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे 02 स्टेयरकेस उपरोक्त तालिकानुसार प्रस्तावित है, जिनकी फलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप मे निर्मित किया जायेगा।

4–रिफ्यूज एरियाः– भवन मे रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ–अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः– एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना वॉच्छनीय है।

1–भूमिगतः–प्रश्नगत भवन मे 2,00,000 एक लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

2–पम्पसः–भूमिगत टैंक के पास 2280 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।

3–टेरिस टैंकः–प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 दस हजार ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

4–होजरीलः– प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

5–वेटराईजरः– प्रस्तावित भवन मे वेटराइजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0–3844 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

6–यार्ड हाईड्रेण्टसः– प्रस्तावित भवन मे रिंग लाइन एवं उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

7–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

8–आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टमः– प्रश्नगत भवन मे ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

9–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

10–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।

11–स्मोक एक्स्ट्रेक्शनः– प्रश्नगत भवन मे स्मोक एक्स्ट्रेक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय नही है।

12–एग्जिट साईनेजः– सम्पूर्ण भवन मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

13–पी0ए0 सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

14–कम्पार्टमेन्टेशनः– प्रश्नगत भवन मे प्रत्येक टावरो मे फायर स्टेयरकेस पर फायरचैक डोर वॉच्छनीय है।

15–प्रशिक्षित स्टॉफः– प्रश्नगत भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर ऑफिसर एन0बी0सी0–2005 के प्रस्तर सी0–6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज–2 की संस्तुति आख्या के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स गुलशन होम्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट नं0 जी0एच0–03सी, सेक्टर–144, नौएडा जिला गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र अदद।

11/1/16
(सुनील कुमार सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपिः1–अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज–2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2–मैसर्स गुलशन होम्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट नं0 जी0एच0–03सी, सेक्टर–144, ग्रेटर नौएडा जिला गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।

For Gulshan Homes And Infrastructure Pvt. Ltd.

Authorised Signatory